न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव, जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या–29/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
रामाकिशन पुत्र बंकटलाल जाति महेश्वरी स्वामी मैसर्स श्याम फूट प्रोडक्ट निवासी घोसीवाड़ा मेड़तासिटी जिला नागौर राजस्थान		जिला रसद अधिकारी नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री नरेन्द्र सारस्वत।
2. अप्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल।

निर्णय दिनांक– 12-09-2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ई के अर्न्तगत प्रस्तुत कर दिनांक 08.09.2010 को प्रार्थी के गोदाम से सम्पृहत (जप्त किये गये एक हजार कट्टों में भर गैहूँ को वापिस लौटाने व सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करने हेतु दिनांक 06.12.2018 को प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि दिनांक 08.09.2010 को प्रार्थी के गोदाम से गलत व अवैध कार्यवाही कर प्रार्थी के स्वामित्व के लगभग एक हजार गेहूँ के कट्टों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ होना बताकर जब्त किया गया था तथा उन्हे समपहरित कर लिया गया था। जब्तशुदा सम्पूर्ण गेहूँ प्रार्थी के स्वंय का खरीद किया था। प्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेड़तासिटी के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। दिनांक 09.05.2017 को माननीय न्यायालय ने प्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 का प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनना मानते हुए प्रार्थी को धारा 3/7 के आरोप से उन्मोचित कर दिया। इस प्रकार सक्षम न्यायालय से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के आरोपों से दोष मुक्त हो चुका है का कथन करते हुऐ वकील प्रार्थी ने प्रार्थी के गोदाम से दिनांक 08.09.2010 को जब्त किये गये 1000 कट्टों में भर गैहूँ को वापिस लौटोने व सुपुर्द करने के आदेश न्याय हित में प्रदान करने का निवेदन किया है।
3. प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल ने अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेड़ता द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 96/2011 द्वारा दिये गये आदेश में उक्त प्रकरण में प्रार्थी रामाकिशन को केवल धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम से उन्मोचित किया गया है, इसमें माननीय न्यायालय द्वारा जब्त सुदा गेहूँ को वापस लौटाने हेतु निर्णय में कहीं आदेश नहीं दिये जाने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का प्रकरण में निरस्त करने का निवेदन किया है।
4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका एवं जब्ती रिपोर्ट दिनांक 09.09.2010 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक 09.09.2010 को मैसर्स श्याम फूड प्रोडक्टस् मेड़ता सिटी की आकस्मिक जॉच में जिला रसद अधिकारी भेराराम डीडेल व अन्य अधिकारीगण द्वारा 822 कट्टे गेहूँ वजन 415.941 क्वी.बारदाना सहित, तुलसी भोग आटा के 5 कि.ग्रा. के 97 बैग, 20 कि.ग्रा. के 14 बैग को जब्त किया गया। उक्त संबंध में माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेड़ता में दायर फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 96/2011 राजस्थान राज्य बनाम रामाकिशन अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.05.2017 से प्रार्थी रामाकिशन को आरोप अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम से उन्मोचित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

कलक्टर, नागौर

फर्द मौका एवं जब्ती रिपोर्ट दिनांक 09.09.2010 के अनुसार 822 कट्टे गेहूँ वजन 415.941 क्वी.बारदाना सहित, तुलसी भोग आटा के 5 कि.ग्रा. के 97 बैग, 20 कि.ग्रा. के 14 बैग को जब्त किया गया, जबकि प्रार्थी द्वारा 1000 कटटों में भर गेहूँ वापिस लौटाने का निवेदन किया है। प्रार्थी के कथनानुसार लगभग 1000 कट्टों को प्रार्थी के गोदाम से दिनांक 08.09.2010 को जब्त करना बताया गया है, परन्तु फर्द मौका एवं जब्ती रिपोर्ट अनुसार जब्तशुदा गैहूँ आदि को दिनांक 09.09.2010 को जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त फर्द मौका एवं जब्ती रिपोर्ट 09.09.2010 के अनुसार फर्म मालिक प्रार्थी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भारतीय खाद्य निगम के मार्का वाला गेहूँ की कालाबाजारी में खरीदने से उक्तानुसार गेहूँ आदि को जब्त किया गया था, इस प्रकार कालाबाजारी में गैहूँ आदि को जब्त करने पर रसद विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जिला कलक्टर न्यायालय में जब्तशुदा सामग्री को समपहरण (Confiscate) की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर आदेश प्राप्त किया जाता है, जो आवेदन न्यायालय जिला कलक्टर में प्रस्तुत किया गया अथवा नही के संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसके अलावा अप्रार्थी ने जबाब में कथन किया है कि मा0 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय मेड़ता द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.05.2017 में जब्त शुदा गैहूँ को वापस लौटाने का आदेश नहीं दिया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

6. निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव),
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 12:20:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: